W.R.

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्याः अपीडी/टीए/232/2010/धौलपुर

हेतसिंह पुत्र रामजीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम अतरौली तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

अपीलार्थी

बनाम

1 मोहरसिंह पुत्र उमराय
2 हाकिमसिंह पुत्र उमराय जाति लोधा निवासीगण ग्राम अतरौली
3 स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा संतर रोड धौलपुर जरिये प्रबन्धक
4 तहसीलदार, राजाखेडा

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोहम्मद हनीफ, सदस्य
श्री आर.सी.गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः श्री अजयपाल वकील अपीलार्थी
श्रीमति ज्योति पारीक वकील प्रत्यर्थी संख्या 1,2

निर्णय

दिनांकः 02.02.2015

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 2/07 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.7.2009 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।
प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने एक वाद अधिनियम की धारा 88, 188 व 53 का उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 452/479 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम अतरौली प्रतिवादी अपीलार्थी के बाबा जीवाराम के खातेदारी की थी। जीवाराम से वादीगण ने विवादित भूमि का 1/3 भाग 2000 रूपये के क्रय कर लिया एवं कब्जा प्राप्त कर लिया। विक्रय पत्र लिखा गया एवं गवाहों के हस्ताक्षर किये गये हैं परन्तु देरी हो जाने से उस दिन पंजीयन नहीं हो सका एवं बाद में जीवाराम ने पंजीयन कराने का आश्वासन दे दिया। प्रतिवादीगण की नियत में बदी आ गई तथा विक्रय पत्र को पंजीकृत कराने से मना कर दिया। अतः वाद स्वीकार कर वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई एवं निर्णय दिनांक 20.12.2007 से वादीगण का

COMPARE BY